

न्यायालय जिला कलेक्टर, दौसा

पीठासीन अधिकारी— अविचल चतुर्वेदी
आई०ए०एस०



राजस्व अपील सं० 191/2019

1. सियाराम उर्फ सीताराम पुत्र रामहेत जाति बैरवा निवासी ग्राम तलावड़ा तहसील दौसा।
..अपीलांत

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये उप तहसीलदार सैथल।

...रेस्पोजेन्ट

अपील विरुद्ध निर्णय उप तहसीलदार सैथल दिनांक 26.12.2018 प्रकरण उनवानी सरकार बनाम सियाराम मु०नं० 407/2018 अंतर्गत धारा 91 राज० लैण्ड रेवेन्यू एक्ट।

- उपस्थित : 1. श्री सीताराम मीना, अधिवक्ता अपीलांत
2. श्री चंद्र शेखर शर्मा राजकीय अधिवक्ता, पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक: 01.1.2020

संक्षिप्त विवरण अपील इस प्रकार है कि उप तहसीलदार, सैथल ने दिनांक 16.12.2018 को ग्राम तलावड़ा तहसील दौसा के आ०ख० 1854 रकबा 0.20 है० किस्म पेटा तालाबी भूमि पर अपीलांत को अतिक्रमण का दोषी मानते हुए बेदखली, पेनल्टी एवं 90 दिवस के सिविल कारावास की सजा का आदेश पारित कर दिया गया। इसी आदेश से असंतुष्ट होकर यह अपील पेश की गई है।

अपील दर्ज रजिस्टर की गयी। रेस्पोजेन्ट को तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मंगवाई गई। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अधिवक्ता अपीलांत पक्ष द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस में निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी हल्का की इकतरफा रिपोर्ट के आधार पर अपीलांत को बिना सुनवाई व सबूत का मौका दिये एवं मौके की जांच किये बिना इकतरफा में निर्णय पारित किया है। कानूनन अपीलांत को नोटिस जारी किया जाकर पूर्ण सुनवाई का अवसर दिया जाकर आदेश पारित करना चाहिए। जो नियमों के प्रतिकूल होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि विरुद्ध एवं तथ्यों कि विपरीत है। अपीलांत द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमण करना भी साबित नहीं है। इस संबंध में पत्रावली में ऐसा कोई सबूत नहीं है। रिपोर्ट पटवारी प्रदर्शित भी नहीं हुई है। अतः अपील अपीलांत स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश निरस्त फरमाया जावे।




(A)

राजकीय अधिवक्ता द्वारा बहस में निवेदन किया गया है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत करने पर गिरदावर हल्का से जांच करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत को राजस्थान भू राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया है। नोटिस की तामील प्रति पत्रावली में संलग्न है। अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि साक्ष्य/सुनवाई का समुचित अवसर नहीं दिया गया। अपीलांत अतिक्रमी की श्रेणी में आता है। अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता नहीं रह जाती है। अतः अपील अपीलांत खारिज फरमाई जावें।

अधिवक्तागण उभयपक्ष की बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया व बहस पर मनन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से प्रकट होता है कि प्रश्नगत भूमि की रिपोर्ट धारा 91 पटवारी हल्का द्वारा प्रस्तुत की गई। रिपोर्ट धारा 91 की जांच गिरदावर हल्का से करवाई गई। गिरदावर हल्का की जांच के हस्ताक्षर अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध रिपोर्ट धारा 91 पर मौजूद है। अपीलांत द्वारा अपील मीमों में अंकित तथ्यों पर गौर किया गया। अपीलांत द्वारा पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट का कथन उचित प्रतीत नहीं होता है। अपीलांत को राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम-1956 की धारा 91 के तहत नोटिस जारी किया गया नोटिस तामील होने के उपरान्त बावजूद सूचना अपीलांत स्वयं अधीनस्थ न्यायालय में उपस्थित हुआ है। ऐसी स्थिति में अपीलांत का यह कथन उचित नहीं है कि उनको सुनवाई एवं साक्ष्य का अवसर नहीं दिया गया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट में पेटा तालाबी भूमि पर बाजरा की काश्त कर अतिक्रमण करना बताया है। साथ ही रिपोर्ट की कैफियत में पश्चातवर्ती अतिक्रमण होना बताया है। इससे स्पष्ट है कि अपीलांत द्वारा राजकीय भूमि पर अतिक्रमण किया गया है। अपीलांत द्वारा न्यायालय में उपस्थित होकर प्रश्नगत खसरा नंबर 1854 भूमि पर से अतिक्रमण हटा लिया जाना एवं भविष्य में अतिक्रमण नहीं करने बाबत शपथ-पत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए अपीलांत के शपथ-पत्र को ध्यान में रखते हुए अतिक्रमी के प्रति नरमी का रुख अपनाया जाकर सिविल कारावास की सजा पर विचार किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांत आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। अपीलाधीन आदेश दिनांक 26.12.2018 में से सिविल कारावास की सजा अपीलांत द्वारा अतिक्रमण हटा लेने की शर्त पर निरस्त की जाती है। शेष आदेश यथावत रखा जाता है। अपीलांत द्वारा इस न्यायालय में प्रस्तुत शपथ-पत्र में अंकित तथ्यों का भौतिक सत्यापन अधीनस्थ न्यायालय स्वयं करें। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली मय अपीलांत द्वारा प्रस्तुत शपथ-पत्र की छाया प्रति व निर्णय प्रति भिजवाई जावे। बाद पूर्ति पत्रावली प्रविष्ट लेख भण्डार हो।



निर्णय आज दिनांक 01 जनवरी 2020 को लिखवाया जाकर मेरे हस्ताक्षरित एवं न्यायालय की मुद्रांकित खुले न्यायालय सुनाया गया।

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा

(अविचल चतुर्वेदी)

जिला कलेक्टर, दौसा